

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 22.03.2019

आदेश

डा. वीरेन्द्र कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, ट्रौमा सेन्टर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर का बकाया एवं माह मई, 2019 तक का वेतन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के अधीन उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 4- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
- 5- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जयपुर/अजमेर
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
- 7- डा. वीरेन्द्र कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, ट्रौमा सेन्टर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
- 8- रक्षित पत्रावली



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव